न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 60/2024 G.C.M.S. No. 2024/219 दर्ज दिनांक : 15.07.2024

अपीलार्थी:

1. छतरसिंह पुत्र भीकसिंह उम्र वयस्क, जाति राजपूत, निवासी करनवा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत हिंदुराम पुत्र स्व. स्वरूपाराम के का.मु.–
   1/1 हिराराम पुत्र स्व. हिंदुराम, उम्र वयस्क
   1/2 रामुदेवी पत्नि हिंदुराम, उम्र वयस्क
   1/3 रूपीदेवी पुत्री हिंदुराम, उम्र वयस्क
   1/4 शांति पुत्री हिंदूराम, उम्र वयस्क, समस्त जातिगण रायका, निवासीगण करनवा, तहसील बाली व जिला पाली।
2. दरिया कुंवर पत्नि नाथुसिंह, उम्र वयस्क
3. मृत दलपतसिंह पुत्र स्व. भीकसिंह के विधिक वारिसानः–
   3/1 शोभसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह, उम्र वयस्क
   3/2 हनवंतसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह, उम्र वयस्क
   3/3 फुलसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह, उम्र वयस्क
   3/4 पुरणसिंह पुत्र स्व. दलपतसिंह, उम्र वयस्क
   3/5 कमल कंवर पत्नि स्व. दलपतसिंह, उम्र वयस्क, समस्त जातिगण राजपूत, निवासीगण करनवा, तहसील बाली व जिला पाली।
4. पदमसिंह पुत्र नाथुसिंह, उम्र वयस्क
5. भोपालसिंह पुत्र भीकसिंह, उम्र वयस्क
6. मनोहर कंवर पुत्री भीकसिंह, उम्र वयस्क
7. राजकंवर पुत्री भीकसिंह, उम्र वयस्क
8. बालुसिंह पुत्र नाथुसिंह, उम्र वयस्क
9. रामसिंह पुत्र नाथुसिंह, उम्र वयस्क
   सायर कंवर पुत्री भीकसिंह, उम्र वयस्क, समस्त जातिगण राजपूत, निवासीगण करनवा, तहसील बाली व जिला पाली।
10. तुलसाराम पुत्र पुनाजी, उम्र वयस्क
11. मोहिनी बाई पत्नि पुनाजी, उम्र वयस्क, जातिगण माली, निवासीगण करनवा, तहसील बाली व जिला पाली।
12. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसील बाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 150/2023 बअनवान हिंदुराम बनाम छतरसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024

पैरोकार–

1. श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री प्रवीण व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री सलीम कुरैशी, श्री प्रेमसिंह राठौड़, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 28.11.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 150/2023 बअनवान हिंदुराम बनाम छतरसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या एक ने अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 12 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेवाड़ी तहसील बाली के खसरा नंबर 2158 व 2159 रकबा 0.5200 हैक्टयेर कृषि भूमि रेस्पोंडेंट संख्या एक के खातेदारी की हैं। इस खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 12 की खातेदारी खसरा नंबर 2157 व 4122/2164 में से प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में लाल स्याही से वर्णित अनुसार रास्ता देने का निवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 12 को जरिये नोटिस तलब किया एवं तहसीलदार बाली से मौका रिपोर्ट तलब की। अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आवेदन व जवाब पेश कर बताया कि खसरा नंबर 4122/2164 के उत्तरी माठ की तरफ पूर्व में धारा 251ए के तहत नया रास्ता दिया गया है। जो रास्ता राजस्व रेकर्ड में 4121/2164 के रूप में दर्ज है। उक्त रास्ता खसरा नंबर 2163 व 2162 की भूमि में जाता है। खसरा नंबर 2163 की पूर्वी माठ के आगे अड़ो–अड़ खसरा नंबर 2159 रेस्पोंडेंट संख्या एक की खातेदारी भूमि हैं। जो गैर मुमकिन रास्ता 4121/2164 से मात्र 150 फीट पर स्थित है। रेस्पोंडेंट संख्या एक खसरा नंबर 2163 में से 2159 में आना–जाना करता है। रेस्पोंडेंट संख्या एक ने गलत तरीके से खसरा नंबर 2157 में से रास्ते की मांग की हैं। रेस्पोंडेंट की खातेदारी कृषि भूमि में जाने हेतु खसरा नंबर 4121/2164 का रास्ता उपलब्ध है। उक्त रास्ते की भूमि रेस्पोंडेंट संख्या एक के खेत के निकटतम है। रेस्पोंडेंट संख्या एक ने खसरा नंबर 2157 में से जिस प्रस्तावित रास्ते की मांग की हैं। उक्त प्रस्तावित रास्ते की दूरी करीबन 425 फीट है एवं प्रस्तावित रास्ते में अपीलांट के खेत में मवेशियों के पानी पीने के लिए 12 बाई 15 फीट का अवाला बना हुआ है। आरआई व पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की हैं वह रिपोर्ट भी गलत पेश की हैं। मौके पर जाकर रिपोर्ट नहीं बनाई हैं। अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 12 की अनुपस्थिति में रिपोर्ट बनाई हैं। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 68 व 69 की पालना किए बिना रिपोर्ट बनाई हैं। इसलिए पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जवाब में वर्णित तथ्यों पर गौर किए बिना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना प्रार्थना पत्र के साथ ही प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित कर दिया। अपीलांट द्वारा पेश जवाब व दस्तावेजों पर गौर किए बिना प्रार्थना पत्र की बहस सुनकर प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित कर दिया। जो कि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 12 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपनी खातेदारी आराजी में से रास्ता प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.07.2024 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा ग्राम सेवाड़ी में स्थित अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 2158 व 2159 तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका अपीलांट अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खण्डन किया गया। खसरा संख्या 2162 व 2163 तक पहुंच के लिए पहले से रास्ता उपलब्ध है तथा खसरा संख्या 2162 व 2163 से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 2159 मात्र 150 फीट की दूरी पर स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बाली से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जो भू.अ.नि. सेवाड़ी से प्राप्त किया गया। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि भू.अ. नि. द्वारा संबंधित प्रभावित खातेदारान अपीलांट को सूचित किए बिना अपीलांट पक्षकारान की गैर मौजदूगी में जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा खसरा संख्या 2157 की पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो आगे खसरा संख्या 2158 तक पहुंचता है। जहां बिंदु सी अंकित है तथा इसकी दूरी 90 मीटर प्रस्तावित की गई। वहीं खसरा संख्या 2122/2164 जिसकी पश्चिमी सीमा के सहारे पूर्व में रास्ता स्वीकृत किया गया। जो खसरा संख्या 4121/2164 है। जो खसरा संख्या 2163 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर–पश्चिमी सीमा तक जाता है। भू.अ.नि. द्वारा उक्त रास्ते से खसरा संख्या 2163 व 2159 की उत्तरी सीमा के सहारे ए से सी के रूप में 116 मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 2159 व 2158 के लिए रास्ते की मांग की गई हैं। अतः भू.अ.नि. द्वारा जांच रिपोर्ट में खसरा संख्या 2163 से होते हुए 2159 से होकर 2158 तक रास्ता गलत रूप से प्रस्तावित किया गया है। जबकि उक्त विकल्प खसरा संख्या 2159 की उत्तर–पश्चिमी सीमा तक ही प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। क्योंकि खसरा संख्या 2159 प्रार्थी स्वयं की खातेदारी आराजी है। अतः स्पष्ट है कि भू.अ.नि. द्वारा निकटतम दूरी के विकल्प का समुचित परीक्षण किए बिना खसरा संख्या 2157 में से निकटतम दूरी अंकित करते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिस पर गौर किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया, जो समर्थन योग्य नहीं हैं।

4. भू–नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 2159 व 2158 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 2163 की उत्तरी सीमा के सहारे, खसरा संख्या 4122/2164 की पूर्वी सीमा के सहारे भी निकटतम दूरी का विकल्प संभव है। जिसकी जांच किए जाना आवश्यक है। साथ ही राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार अधिनियम की धारा 251–क में संशोधन उपरांत प्रतिकर राशि के स्थान पर प्रतिकर के रूप में रास्ते के रूप में प्रयुक्त रकबे के समान रकबा प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में से अप्रार्थी प्रभावित खातेदार को दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः इस संबंध में भी संबंधित पक्षकारान को अवसर दिया जाना अपेक्षित होता है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 150/2023 बअनवान हिंदुराम बनाम छतरसिंह में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 2159 व 2158 तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 2163 की उत्तरी सीमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

के सहारे, खसरा संख्या 4122/2164 की पूर्वी सीमा के सहारे सहित सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 05.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner